न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 115/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/186

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण

1.अचलाराम पुत्र मेगाराम
2.चन्द्रादेवी पुत्री बांकाराम
3.दिनेस पुत्र बांकाराम
4.ममतादेवी पुत्री बांकाराम
5.मूलाराम पुत्र बांकाराम
6.मांगीलाल पुत्र मेगाराम
7.रूपाराम पुत्र बांकाराम
8.लीला पुत्री बांकाराम
9.सुशीला पुत्री बांकाराम
10.सीतादेवी पुत्री बांकाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी सिमरखिया पुरोहितान
तहसील पचपदरा व जिला
बालोतरा

1.भैराराम पुत्र हराराम
2.गुमनाराम पुत्र वेहनाराम
3.ढलाराम पुत्र वेहनाराम
4.भूराराम पुत्र वेहनाराम
5.गेनाराम पुत्र हराराम
6.थानाराम पुत्र हराराम
7.सोनाराम पुत्र हराराम
8.पपूराम पुत्र हराराम
9.प्रेमाराम पुत्र हराराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी सिमरखिया पुरोहितान
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
10.कल्याणसिंह पुत्र धनसिंह
11.जालमसिंह पुत्र धनसिंह
12.मांगूसिंह पुत्र धनसिंह
13.राजूसिंह पुत्र धनसिंह
14.सोहनकंवर पत्नि धनसिंह
15.किशोरसिंह पुत्र सुरतसिंह
16.गेनसिंह पुत्र सुरतसिंह
17.जेठूसिंह पुत्र सुरतसिंह
18.फूलकंवर पत्नी सुरतसिंह
19.मूलसिंह पुत्र सुरतसिंह
जाति राजपूत निवासी सिमरखिया
तहसील पचपदराव जिला बालोतरा
20.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मंडली
21.राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बागावास
22.ग्राम पंचायत सिमरखिया,तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
23.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,120 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री तखतसिंह पागा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4
3.विप्रार्थी संख्या 1 व 5 से 23 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 19/12/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किा गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 5 से 23 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थीगण आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। प्रार्थी पक्ष की ओर से विवादित भूमि की सीमाज्ञान हो रखा है,ऐसी सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश नही की गई है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के अभाव के कारण विवादित भूमि की नेखमबंदी आदेश किए जाने विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। प्रार्थी पक्ष की ओर से छायाप्रति सीमाज्ञान कराने बाबत पत्र दिनांक 31.1.2017 की पेश कर रखी है,जिसका कोई औचित्य नही है,क्योकि विवादित भूमि की सीमाज्ञान हो रखी है,ऐसी सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश नही की गई है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिमरखिया पटवार हल्का सिमरखिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 701/347 क्षेत्रफल 2.3310 हैक्टयर भूमि की सीमाज्ञान करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार) 19/12/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी 19/12/2025
बालोतरा